




# रामपुर पुलिस



**आर्म्स एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-**


अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2010 को अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0 573/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रामकुमार पुत्र मनीराम निवासी ग्राम महुआ वंशीपुर थाना शाही जनपद बरेली पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 04.10.2024 को मा0न्या0 ACJ 1 रामपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 @रामपुरपुलिस